



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय / Headquarters
पंचदीप भवन, सी आई जी मार्ग, नई दिल्ली - 110 002
Panchdweep Bhawan, CIG Marg, New Delhi - 110 002
Telephone - 011 23232373, E-mail : dir-pnd@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in

स. एन-15011/1/2021-योववि

दिनांक : 27.06.2022

परिपत्र
Circular

विषय :- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य के तूतुकुडी जिले (पूर्व में तूतीकोरिन) जिले के सम्पूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधी।

Sub: Implementation of ESI Act in the entire area of Thoothukudi district (Earlier Tuticorin) in the State of Tamil Nadu

उपरोक्त विषय पर मंत्रालय द्वारा भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-II-खण्ड-3-उप-खण्ड-(II) में दिनांक 24.06.2022 को प्रकाशित अधिसूचना स का.आ. 2858(अ) दिनांक 24 जून, 2021 की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है। (गजट.आई.डी.स- CG-DL-E-24062022-236778)

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य के तूतुकुडी जिले (पूर्व में तूतीकोरिन) जिले के सम्पूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का कार्यान्वयन दिनांक 01.07.2022 से प्रभावी होगा।

Enclosed herewith is a copy of the notification no. S.O. 2858(E) dated 24th June, 2022 published in Gazette of India (Extraordinary), Part-II, Section-3, Sub-section (II) on 24.06.2022 by Ministry of Labour & Employment for information. (Gazette ID No-CG-DL-E-24062022-236778)

Implementation of ESI Act, 1948 under Section 1(3) in the entire area of Thoothukudi district (Earlier Tuticorin) in the State of Tamil Nadu shall be effective from 01.07.2022.

संलग्न - यथोपरि


27/6/22
(पी आर सिन्हा)

उप निदेशक (योजना व विकास)

सेवा में,

1. क्षेत्रीय निदेशक, तमिलनाडु को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधन, मुख्यालय से अनुरोध है कि इस नोट को वेबसाइट पर अपलोड करें ।



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062022-236778
CG-DL-E-24062022-236778

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2718]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2022/आषाढ़ 3, 1944

No. 2718]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2022/ASHADHA 3, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2022

का.आ. 2858(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई, 2022 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस पर उक्त अधिनियम के उपबंध अर्थात् :-

- (i) अध्याय 4 की धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41, धारा 42, धारा 43 और धारा 45क से धारा 45 ज;
- (ii) अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73; और
- (iii) अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2) से (4), धारा 80, धारा 82, और धारा 83 ।

तमिलनाडु राज्य के तूतुकुडी जिले के सभी क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे ।

[फा. सं. एस-38013 / 04 / 2022-एस.एस. I]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th June, 2022

S.O. 2858(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of July, 2022, as the date on which the provisions of the said Act, namely,—

- (i) sections 38,39,40,41,42,43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;
- (ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and
- (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI, shall come into force in all the areas of Thoothukudi district in the Tamil Nadu.

[F. No. S-38013/04/2022-SS-I]

VIBHA BALLA, Jt. Secy.